

(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

समक्ष : मनोज गोयत

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील 5260/2018/छिंदवाड़ा/आ.अ. तिरुद्ध आदेश दिनांक 24-7-2018 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, गवालियर पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2018-19/3829.

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्राईवेट लिमिटेड

सेहतगंज जिला रायसेन

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

1. उपायुक्त आबकारी

संभागीय उड़नदस्ता, जबलपुर

2. जिला आबकारी अधिकारी

जिला छिंदवाड़ा

3. जिला आबकारी अधिकारी

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्राईवेट लिमिटेड

सेहतगंज जिला रायसेन

.....प्रत्यर्थीगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी

श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक ६-४-१५ को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. गवालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2018-19/3829 में पारित आदेश दिनांक 24-7-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)2016-17/150 दिनांक 29-4-2016 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए अपीलार्थी कम्पनी को उसे स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र जिला छिंदवाड़ा के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिये गये थे। जिला आबकारी

Hans

[Signature]

अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा के प्रतिवेदन दिनांक 25-1-2018 के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र के देशी मंदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागारों छिंदवाड़ा पर माह जुलाई, 2016 से सितम्बर, 2016 तक, परासिया पर माह अक्टूबर, 2016 से जनवरी, 2017 तक, सौंसर पर माह अप्रैल, 2016 से मई, 2016 तक एवं अमरवाड़ा पर माह अक्टूबर, 2016 से मार्च, 2017 तक की अवधि में, एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर उत्तर प्राप्त किया गया एवं दिनांक 24-7-2018 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उपरोक्त देशी मंदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागारों पर प्रश्नाधीन अवधि में कुल 380 दिन, एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मंदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से 95,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 1,10,000/- रूपये जमा करने के आदेश दिये गये। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को समक्ष में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी को स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र के किसी भी फुटकर ठेकेदार से देशी मंदिरा का प्रदाय कांच की बोतलों में प्राप्ति हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और मांग के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मंदिरा का प्रदाय किया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी द्वारा वैधानिक व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं किया है और किसी भी प्रदाय क्षेत्र में मंदिरा प्रदाय विफल नहीं हुआ है, न ही किसी लायसेंसी द्वारा नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग शासन से की गई है। अतः स्पष्ट है कि शासन को राजस्व की कोई हानि हुई है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि शासन को क्या हानि हुई है, यह प्रमाण भार शासन पर था, जिसे शासन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। यह भी कहा गया कि जब शासन को कोई हानि ही नहीं हुई है, तब अपीलार्थी कम्पनी पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती, किन्तु

आबकारी आयुक्त द्वारा उपरोक्त स्थिति एवं निविदा की शर्त क्रमांक 6(v) पर बिना विचार किए शास्ति अधिरोपित की गई है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। तर्क में यह भी कहा गया कि संविदा के अंतर्गत किसी पक्ष को हुई हानि की पूर्ति उस सीमा तक की जा सकती है, मनमाने रूप से शास्ति अधिरोपित करना न्यायोचित नहीं है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह कांच की बोतलों में रखने के प्रावधान को शासन द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु जारी निविदा हेतु विलोपित कर दिया है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज पर कोई विचार किए बिना आदेश पारित करने में भूल की गई है।

तर्कों के समर्थन में ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 253, ए.आई.आर. 1980 सुप्रीम कोर्ट 346, 1985 सुप्रीम कोर्ट 285, ए.आई.आर. 1990 सुप्रीम कोर्ट 1979, ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 1955 एवं ए.आई.आर. 1973 सुप्रीम कोर्ट 1098 के न्याय दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए आबकारी आयुक्त का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रत्यर्थीगण शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं:-

1. देशी स्प्रिट के नियम 4(4) जो कि आजापक उपबंध है, के अनुसार -

4. Manufacture, working & control: ---

(4) The licensee shall maintain at the distillery the minimum stock of spirit as prescribed by the excise Commissioner from time to time."

2. सी.एस. 1 लाइसेंस के अनुसार इकाई को मद्यभाण्डागार सेहतगंज रायसेन में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखा जाना अनिवार्य था।

3. इकाई द्वारा प्रस्तुत मासिक पत्रक के अनुसार सेहतगंज रायसेन में अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक विभिन्न स्टोरेज भण्डागारों में कुल 380 दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया, जिसके संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई से जवाब मांगा गया।

4. अपीलार्थी इकाई द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अभिलेख के अवलोकन से पश्चात आबकारी आयुक्त ने यह तथ्य पाया कि अपीलार्थी द्वारा पत्रक के अनुसार विभिन्न स्टोरेज भाण्डागारों

में 380 दिवस न्यूनतम स्टॉक का कांच की बोतलों का भण्डारण नहीं किया गया है, जो कि म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय है। उपरोक्त आधार पर आबकारी आयुक्त ने रूपये 250/- प्रतिदिन के हिसाब से रूपये 95,000/- और न्यूनतम स्टॉक नहीं रखे जाने से रूपये 15,000/- अनियमितता हेतु अधिरोपित करते हुए कुल रूपये 1,10,000/- शास्ति अधिरोपित की गई है।

5. लाईसेंस की शर्त 3 का उल्लंघन होकर नियम 4(4) के अनुसार दण्डनीय होने से उपरोक्त के आधार पर अनियमितता एवं विहित प्रावधानों के उल्लंघन होने पर इकाई पर 1,10,000/- रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

6. अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य से इंकार नहीं किया है कि न्यूनतम स्टॉक का भण्डारण नहीं किया गया है, जो कि अपीलार्थी के स्वयं की स्वीकारोक्ति है। अपीलार्थी द्वारा यह वर्णित किया गया है कि ठेकेदार की मांग के अनुसार प्रदाय करने हेतु न्यूनतम स्टॉक रखा जाता है। अपीलार्थी द्वारा अपील में ऐसा कोई भी तथ्य वर्णित नहीं किया गया, जिससे यह दर्शित है कि अपीलार्थी द्वारा नियम का उल्लंघन नहीं किया गया एवं टेंडर की उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

उनके द्वारा अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। देशी मंदिरा प्रदाय करने की अनुजप्ति में प्रतिदिन के औसत प्रदाय के 25 प्रतिशत के बराबर मंदिरा कांच की बोतलों में रखना अनिवार्य है। देशी मंदिरा प्रदाय करने के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 164 दिनांक 4 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित टेंडर नोटिस की कंडिका 6(^{भी}xxxii) में इसका स्पष्ट उल्लेख है। अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र जिला छिंदवाड़ा के उपरोक्त देशी मंदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागारों पर प्रश्नाधीन अवधि में कुल 380 दिवस कांच की बोतलों में, एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मंदिरा संग्रह नहीं रखा गया है। देशी मंदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखने से शासन को राजस्व हानि होने अथवा नहीं होने का इस शर्त के पालन में कोई संबंध

नहीं है। अपीलार्थी कम्पनी को विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह विधिसम्मत है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-7-2018 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। मूल अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय को भेजा जाये।

(इकबाल सिंह बैंस)
अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर